प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/350 दिनांकः 27 अगस्त,2014

विषयः **प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरूद्ध बन्दी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदनों को ऑनलाइन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या-2423/15-7-09-1(140)/2009 शिक्षा-7 अनुभाग, लखनऊ दिनांकः 22 सितम्बर,2009 के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरूद्ध बन्दी परीक्षार्थियों को हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित कराया जा रहा है। ऐसे परीक्षार्थियों के पूरित आवेदन पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद कारागार से प्राप्त कर उसे जनपद के राजकीय इण्टर कालेज से अग्रसारित कराने की व्यवस्था पहले से ही चल रही है। वर्ष 2015 से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के विवरणों को प्रथमबार ऑनलाइन कराये जाने की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कारागार में निरूद्ध बन्दी परीक्षार्थियों के पूरित व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्रों एवं परीक्षा शुल्क को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कारागार से प्राप्त कर उन्हें पूर्व व्यवस्थानुसार जनपद के राजकीय इण्टर कालेज से ही ऑनलाइन अपलोड कराया जायेगा। अस्तु उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कृपया तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शकुन्तला देवी यादव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/350(1-2) दिनांकः 27 अगस्त,2014

उक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0 पंचम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि प्रदेश के समस्त कारागार अधीक्षकों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- अपर सचिव (नाम से) माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/ इलाहाबाद तथा वाराणसी।

(शकुन्तला देवी यादव)
सचिव।